भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1849
बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नए रोजगार का सृजन

1849. श्री परिमल नथवानीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए रोजगार के सृजन के हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लॉकडाउन अवधि में नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): सरकार नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य एवं अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक श्रम बल में लाने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 3 मार्च, 2019 को 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से कार्यान्वयन की जा रही है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान खातों में डाल रही है।

इसके अलावा, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) आरंभ किया था। जिसके तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया था और यह 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए सरकार मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान कर रही थी।

*****